

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

जयपुर, दिनांक: 24 JUN 2024

क्रमांक:—प.17(2)नविवि/प्र.श.अभि./2024

**आदेश**

शहरों के सुनियोजित विकास में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान अनधिकृत भूमि उपयोग को रोकने, शहरीकरण के वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत नवाचार प्रस्तावित करने, प्रचलित अधिनियमों/नियमों/विनियमों/नीतियों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करने एवं नगरीयकरण के सम्बन्ध में अन्य सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:—

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।	—	अध्यक्ष
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण।	—	सदस्य
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल।	—	सदस्य
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।	—	सदस्य
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।	—	सदस्य
6. अति. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व एण्ड पश्चिम)।	—	सदस्य
7. शासन उप सचिव-1, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।	—	सदस्य सचिव
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।	—	सदस्य
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।	—	सदस्य
10. सचिव/आयुक्त, विकास प्राधिकरण/संबंधित न्यास।	—	
11. अन्य कोई अधिकारी।	—	विशेष आमंत्रित
12. विषय विशेषज्ञ।	—	

उक्त उच्च स्तरीय समिति की उपसमितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:—

**तकनीकी समिति**

1. श्री आर. के. तुलारा, अति. मुख्य नगर नियोजक, जयपुर (पश्चिम)।	—	अध्यक्ष
2. श्री नितिन नेहरा, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	—	संयोजक
3. श्री अनुज कुमार फागना, वरिष्ठ नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।	—	सदस्य
4. श्री अर्पित संचेती, उप नगर नियोजक कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।	—	सदस्य

**दूर निर्धारण समिति**

1. श्री श्याम सिंह शेखावत, अति. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	—	अध्यक्ष
2. श्री महेन्द्र मोहन, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	—	सदस्य
3. श्री प्रिया बलराम, अति. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	—	सदस्य
4. श्री हारून अली, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।	—	संयोजक

## क्षेत्राधिकार निर्धारण समिति

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. श्री रवि विजय शासन उप सचिव-प्रथम,<br>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।             | - अध्यक्ष |
| 2. श्री हारून अलि, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी,<br>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर। | - सदस्य   |
| 3. श्री लेखराज जाग्रत, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी,<br>स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।     | - सदस्य   |
| 4. श्री नन्द गोपाल गोयल, उप विधि परामर्शी,<br>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।       | - संयोजक  |
| 5. श्रीमती रिंकू बंशल, अति. मुख्य नगर नियोजक, जयपुर (पूर्व)।                            | - सदस्य   |

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. सचिव/आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, समस्त विकास प्राधिकरण/समस्त न्यास
3. अति. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. शासन उप सचिव- I/ II/ III, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
6. अति. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
8. अति. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व एण्ड पश्चिम)।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
13. उप नगर नियोजक, कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
14. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

RajKaj Ref  
8307589

Document certified by RAVI VIJAY  
<ravijay26@gmail.com>  
Digitally Signed by Ravi Vijay  
Designation: Deputy  
Secretary To Government  
Date :24-06-2024 06:02:16